HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 246/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No.300/2026

1. Balakdas S/o Banshiram, R/o Ramnagar Kanjar Colony, P.s. Thana Sadar Dist. Bundi, Rajasthan. (Appellant Is Confined In Central Jail, Bundi)
2. Billraj S/o Brijmohan, R/o Ramnagar Kanjar Colony, P.s. Thana Sadar Dist. Bundi, Rajasthan. (Appellant Is Confined In Central Jail, Bundi)
3. Hukumchand S/o Ramswroop, R/o Ramnagar Kanjar Colony, P.s. Thana Sadar Dist. Bundi, Rajasthan. (Appellant Is Confined In Central Jail, Bundi)
4. Balakram S/o Banshiram, R/o Ramnagar Kanjar Colony, P.s. Thana Sadar Dist. Bundi, Rajasthan. (Appellant Is Confined In Central Jail, Bundi)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amir Aziz
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Navdeep Singh

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

17/04/2026

अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण **बालकदास, बिलराज, हुकमचन्द एवं बालकराम** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–2, बून्दी** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**166 / 2018, सरकार बनाम बालकदास व अन्य** में पारित निर्णय व

दंडादेश दिनांक **03.02.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान कुछ समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, तत्पश्चात् वे जमानत पर आजाद रहे हैं तथा वर्तमान में वे निर्णय की दिनांक 03.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनका यह भी तर्क है कि उनकी ओर से भी (अपीलार्थी पक्ष द्वारा) परिवादी पक्ष के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका विचारण अभी लंबित है, दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं, इस घटना में मजरूब अमलदास को गंभीर चोट आना बताया गया है तथा अमलदास के जो सिर पर गंभीर चोट आना बताया गया है, उस चोट को मारने का आरोप केवल अभियुक्त बालकदास पर है, शेष अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आक्षेप नहीं रहे हैं। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307 भा0दं0सं0 की साक्ष्य नहीं होते हुए भी उन्हें उक्त अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। गवाहान के कथनों में विरोधाभास है, विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं उक्त तथ्यों का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया गया है, अपील में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण की घटना में मजरूबान/आहतगण अमलदास, सूरज, पूरण, गामा एवं प्रिंस जो कि 04

वर्ष का रहा है, उन्हें चोटें कारित हुई हैं, अमलदास को सिर पर चोट कारित हुई हैं है एवं वह लम्बे समय तक अस्पताल में भर्ती रहा है, जिसका दस्तावेज/डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी.34 रहा है, तथा जिसकी सिटीस्केन रिपोर्ट प्रदर्श पी–32 एवं 33 रही है, जिसके संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षी की भी साक्ष्य रही है, उसके सिर में फ्रेक्चर हुआ है तथा खून के थक्के भी जमे हैं। उनका यह भी निवेदन है कि विचारण के दौरान मजरूब एवं चश्मदीद गवाहान द्वारा घटना का समर्थन किया है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हुई है, विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए ही आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, चश्मदीद गवाहान, मजरूब गवाहान की साक्ष्य चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षी के बयान एवं मेडिकल दस्तावेजात डिस्चार्ज डिकट एम0बी0एस0 चिकित्सालय कोटा एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य तथा संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः आहत/मजरूबान के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य, आहत/मजरूब के आई चोटों की प्रकृति तथा प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण **1. बालकदास पुत्र श्री बंशीराम, 2. बिलराज पुत्र श्री बृजमोहन, 3. हुकमचन्द पुत्र श्री रामस्वरूप एवं 4. बालकराम पुत्र श्री बंशीराम** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 430 बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /53